इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

IndiaShelter Home Loans

पंजीकृत कार्यालय– आर.के. टावर, पहली मंजिल, एलआईसी कार्यालय के पास, विष्णु नगर, परासिया रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश–480001, पहली मंजिल, इंडिया ऑयल मिल के सामने, मैकेनिक चौक, बैतूल गंज, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश–460001

अचल संपत्ति हेतु कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एंव (प्रतिभूति) हित प्रवर्तन एक्ट 2002 के तहत **इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित **उधारकर्ता और संपत्ति का मालिक/जमानतदार** को निम्नलिखित दिनांकों को नीचे वर्णित खाते के समक्ष एक डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें सूचना में उल्लेखित बकाया राशि उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करने का कहा गया था। चूंकि संपत्ति के मालिक तथा अन्य पक्ष राशि वापस करने में असफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं तथा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियम 8 तथा 9 के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रत्येक खाते के सामने उल्लिखित तारीखों को नीचे वर्णित संपत्ति/संपत्तियों का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। अब, विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को इस प्रकार से चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति/संपत्तियों से कोई लेन-देन न करें और संपत्ति/संपत्तियों से कोई भी लेन-देन इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रभार और उस पर ब्याज, लागत, आदि के अधीन होगा, जिसका उल्लेख नीचे किया गया है

क्र. सं.	कर्जदार/गारंटर का नाम (सम्पत्ति का मालिक) और ऋण खाता नं.	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि)	मांग सूचना की तिथि, मांग सूचना की तिथि के अनुसार बकाया राशि	कब्जे की तिथि
1	श्रीमती/श्री जयवंती परतेती, श्रीमती/श्री राजू परते,. श्रीमती/श्री दीपक परतेती सोनाखार, पाखड़िया, छिंदवाड़ा, 480001 मध्य प्रदेश (ऋण खाता संख्याः CHL1000000428)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि मौजा पकड़िया, बी.नं.-304, पी.एच. नं.18, आर.एन.एम. छिंदवाड़ा-2, खसरा नं.124, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, सीमाएं पूर्व-रेवाराम का प्लॉट, पश्चिम-रामलाल का मकान, उत्तर-पहाड़ी, दक्षिण-मड रोड	मांग सूचना की तिथि 12.04.2024 रु. 6,95,367/- (रु. छह लाख पिच्चान्वे हजार तीन सौ सडसठ मात्र) दिनांक 10.04.2024 तक देय साथ में 11.04.2024 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	13.05.2025 भौतिक कब्जा
2.	श्री/श्रीमती अभिलाषा सूर्यवंशी, श्री/श्रीमती, निमेष ब्रम्हे, श्री/श्रीमती दिलीप सूर्यवंशी, पता- वार्ड नं. 35 गली नं. 15 नागद्वार चौक गुलावरा नागद्वार मंदिर के पास छिंदवाड़ा एमपी 480001 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश 480001 (ऋण खाता सं. LA48CLLONS00005031266 और LA48CLLONS000005042096)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि पी. एच. नं.19/22, बी.नं. 177, वार्ड नं. 06, क्षेत्रफल 560 वर्ग फीट, खसरा नं.-427/7, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा 480001, मध्य प्रदेश, सीमाएंः पूर्व-रोड, पश्चिम- विक्रेता की भूमि, उत्तर- विक्रेता का घर, दक्षिण -सुक्ला मास्टर	मांग सूचना की तिथि 17.04.2023 रु. 11,04,298.80/- (रु. ग्यारह लाख चार हजार दो सौ अट्ठान्वे और पैसे अस्सी मात्र) दिनांक 10.04.2023 तक देय साथ में 11.04.2023 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	13.05.2025 भौतिक कब्जा
3.	श्री/ श्रीमती संगीता अवेयर के कानूनी उत्तराधिकारी, श्री/श्रीमती बलवंत अवेयर, पताः- विनायक रेजीडेंसी पटेल वार्ड बैतूल, नीलकंठ मंदिर के पास बैतूल 460001 मध्य प्रदेश (ऋण खाता सं. LA48CLLONS000005039022)	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि ख.नं. 154/1, बी.नं. 526, पी एच नं. 19, लोनिया करवल, तहसील और जिला छिंदवाड़ा, 480001 मध्य प्रदेश बिक्री विलेख के अनुसार सीमाएंः- पूर्व-घर पंडित जी, पश्चिम-रोड, उत्तर-पलाका, दक्षिण-सुभद्रा बाई का बिक्री प्लॉट, साइट पर वास्तविक के अनुसार सीमाएंः पूर्व-घर पंडित जी, पश्चिम-रोड, उत्तर-पलाका प्रहलाद खोले, दक्षिण-घर सोनी	मांग सूचना की तिथि 12.02.2025 रु. 6,82,804/- (रु. छह लाख ब्यासी हजार आठ सौ चार मात्र) दिनांक 10.02.2025 तक देय साथ में 11.02.2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	14.05.2025 सांकेतिक कब्जा

किसी भी प्रश्न के लिए प्राधिकृत अधिकारी श्री संजय राठौड़ (+91 9993460061), श्री सागर बारस्कर (91 9584585052) और श्री सत्येन्द्र पाटीदार (+91 75098 01709)। से संपर्क करें

स्थानः मध्य प्रदेश, तिथिः 16.05.2025 **कृते इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकत अधिकारी)**

सम्पत्ति की ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री

kotak Kotak Mahindra Bank

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 27 वीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉमप्लेक्स, बांद्रा (ई), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड-400051, शाखा कार्यालय, कोटक महिंद्रा बैंक लि., सातवीं मंजिल, प्लॉट सं.-7, सेक्टर-125, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201313

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) के साथ पठित नियम 9 (1) के प्रावधान के अंतर्गत अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। "पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड" **(जिसे यहां बाद में "पीएनबीएचएफएल" कहा गया है)** द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण सौंप दिए जाने के उपरांत पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (जिसे यहां बाद में "पीएनबीएचएफएल" कहा गया है) के अधिकृत अधिकारी ने प्रत्याभूत ऋणदाता के समक्ष गिरवी पर रखी गई/प्रभारित नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्ति (जिसे यहां बाद में प्रत्याभूत सम्पत्ति कहा गया है) पर दिनांक 14.09.2017 को कब्जा कर लिया था। एतद्द्वारा विशेष रूप से कर्जदार(ों) तथा सह-कर्जदार(ों) तथा जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि बैंक ने श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव एवं श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव द्वारा हासिल ऋण, ऋण खाता सं. एचओयू/बीएचओ/0415/218111 के अंतर्गत दिनांक 14.05.2025 की स्थिति के अनुसार बकाया रकम **रु. 28,99,295/- (रुपये अठाईस लाख निन्यानवे हजार दो सौ पनचानवे मात्र)** के साथ भुगतान किए जाने तक लागू भविष्य के ब्याज की रकम की वसूली के लिए नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत ई-नीलामी के माध्यम से "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है", तथा "वहां जो कुछ है" के आधार पर प्रत्याभूत सम्पत्ति की बिक्री करने का निर्णय लिया है।

विवरण	ब्यौरा
नीलामी की तारीख	20.06.2025
नीलामी का समय	दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 1.00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ
आरक्षित मूल्य	रु. 10,80,000/- (रुपये दस लाख अस्सी हजार मात्र)
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	रु. 1,80,000/- (रुपये एक लाख अस्सी हजार मात्र)
केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख	19.06.2025 को शाम 6.00 बजे (भामास) तक
प्रत्याभूत सम्पत्ति का विवरण	ग्राम फंदा कला, पटवारी हल्का सं. 27/38 राजस्व सर्कल सं. 3 तहसील हुजूर, जिला भोपाल के "आकृति हाईलैंड" में स्थित एक आवासिक डुप्लेक्स सं. डी-512 (3बीएचके) का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 98.00 वर्ग मीटर तथा जिसमें से भूतल पर 59.58 वर्ग मीटर तथा जिसमें से पहली मंजिल पर 36.59 वर्ग मीटर आवासिक मकान पर निर्मित है तथा भूतल पर 38.42 वर्ग मीटर खुला क्षेत्र है, जो निम्नलिखित चौहद्दी से घिरा हुआ है साथ में यह विलेख इस बिक्री विलेख का भी हिस्सा है। पूर्व में: सड़क, पश्चिम में: प्लॉट सं. डी-511, उत्तर में: प्लॉट सं. डी-513, दक्षिण में: सड़क।
ज्ञात ऋणभार	शून्य

कर्जदारों का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार तथा आमतौर पर जनसाधारण कृपया ध्यान दें कि किसी भी कारण चाहे जो कुछ भी हो निर्धारित नीलामी विफल होती है, तो प्रत्याभूत ऋणदाता निजी समझौते के माध्यम से बिक्री के लिए प्रत्याभूत हित कुर्क कर सकती है। बिकी के अंतर्गत सम्पत्ति के संबंध में किसी भी तरह के स्पष्टीकरण/आवश्यकता के मामले में बोलीदाता **सुमित सिन्हा (मोब सं. +919667225900), श्री सोमेश सुंदरियाल (मोबः +917078699330) तथा श्री अक्षित सोलंकी (मोब सं. +917302111608)** से सम्पर्क कर सकते हैं। **स्पष्टीकरण के लिए बोलीदातागण हेल्पलाइन सं. (+91-9152219751) से भी सम्पर्क कर सकते हैं।** बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट यानी **www.kotak.com** पर प्रदत्त लिंक **https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html** तथा/अथवा **https://kotakbank.auctiontiger.net** देखें।

स्थानः भोपाल, तारीखः 15.05.2025 **अधिकृत अधिकारीः कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड**

मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड

MANAPPURAM HOME FINANCE LTD.

पूर्व में मणप्पुरम होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
सीआईएन नं.– U65923KL2010PLC039179
यूनिट 301–315, तृतीय तल, ए विंग, कनकिया वॉल स्ट्रीट, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई– 400093,
संपर्क नंबर : 022–68194000 / 022–66211000

माँग सूचना

जबकि मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, जिनका पंजीकृत कार्यालय IV/470ए (पुराना) डब्ल्यू/638ए (नया), मणप्पुरम हाउस, वलपड, त्रिशूर, केरल– 680567 में स्थित है और भारत में विभिन्न स्थानों पर शाखाएं हैं (जिसे इसके बाद "माहोफिन" के रूप में संदर्भित किया गया है) वह कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी है और वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (एम) के उप–खंड (iv) के अर्थ में एक वित्तीय संस्थान है, जिसे भारतीय शासन वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी 18 दिसंबर, 2015 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3466 (ई) के साथ पढ़ा जाए, अन्य बातों के साथ–साथ आवास इकाइयों के निर्माण और/या खरीद के लिए ऋण देने का व्यवसाय कर रहे हैं और नीचे उल्लिखित चार्ट के कॉलम संख्या 2 में उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ताओं ने महोफिन से ऋण प्राप्त किया है और महोफिन सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित लेनदार होने के नाते, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का उस पर अतिरिक्त ब्याज के साथ चुकाने के लिए मांग नोटिस जारी किया, लेकिन उनमें से कुछ को विभिन्न कारणों से नोटिस नहीं दिया जा सका। इसके अतिरिक्त, नीचे सूचीबद्ध उक्त उधारकर्ताओं की जानकारी के प्रयोजनों के लिए, उक्त उधारकर्ताओं को इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता का नाम/लैन/शाखा	उस प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण, जिसके संदर्भ में हित सृजित किया गया है	एनपीए तिथि	प्रेषित सूचना की तिथि एवं बकाया राशि
1	सीता बाई, तेजूलाल एक्स/ एमएचएल00550031411/ यशवंत निवास इंदौर	मकान नंबर 24, सर्वे नंबर 291, पटवारी हल्का नंबर– 24, कुल प्लॉट एरिया 1963 वर्ग फीट, ग्राम धुल महू, तहसील घाटिया, जिला– उज्जैन, घाटिया, पीओ आरयूआई, उज्जैन, मध्य प्रदेश, पिन : 456006, सीमा :– पूर्व– करण सिंह का प्लॉट, पश्चिम– सड़क, दक्षिण– बद्रीलाल का घर, उत्तर– जगदीश का घर	15-04-2025	19–04–2025 तथा रु. 489601/–
2	मनीषा एक्स, करण रणछोड़/ एमएचएल00550024621/ यशवंत निवास इंदौर	मकान नं.153, सर्वे नं. 287, पटवारी हल्का नं. 07, (नया नं. 03) वार्ड नं. 07, कुल 650 वर्ग फीट, ग्राम जलोदिया ज्ञान, तहसील– देपालपुर, जिला इंदौर, इंदौर, पोस्ट ऑफिस जलोदिया ज्ञान, इंदौर, मध्य प्रदेश, पिन : 453220, सीमा :– पूर्व– रणछोड़ का मकान, पश्चिम– रोड, दक्षिण– रोड, उत्तर– बने सिंह की भूमि	15-04-2025	19–04–2025 तथा रु. 430670/–
3	लता सेन, रोहित सेन/ एमएचएल01000019351/ ग्वालियर	भूमि सर्वे नं. 37, पीएच नं. 56, अधिमापन 495 वर्ग फीट, गांव– डबरा, बघेल मोहल्ला इटावा होटल के पीछे, तहसील– डबरा, तालुका– डबरा, वार्ड नं. 02, जिला– ग्वालियर, बघेल कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस डबरा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, पिन : 475110 में स्थित है। सीमा इस प्रकार है :– पूर्व– रोड 18 फीट, पश्चिम– आशा सेन का मकान, दक्षिण– फूलचंद्र परिहार का प्लॉट, उत्तर– जैन साहब का मकान	15-04-2025	19–04–2025 तथा रु. 419745/–
4	मीरा देवी, जितेन्द्र शर्मा / एमएचएल01000024323/ ग्वालियर	भूमि सर्वे क्रमांक 2524/मिन., प्लॉट एरिया 1496.25 वर्ग फीट, ग्राम लालोरकला तालुका मुरैना, वार्ड क्रमांक 15, राम निवास वाली गली, मुरैना नगर निगम में स्थित है और उप–पंजीयक कार्यालय, जिला–मुरैना, पोस्ट ऑफिस मुरैना नगर, मध्य प्रदेश, पिन : 476001 की सीमाओं के भीतर स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– गली, पश्चिम– गली, दक्षिण– भीकाराम का मकान, उत्तर– पुरुषोत्तम का मकान	15-04-2025	19–04–2025 तथा रु. 520530/–
5	देवीबाई दांगी ठाकुर, राजकिशोर सिंह ठाकुर/ एमएचएल00990024037/ सागर	मौजा सानौधा पटवारी हल्का नंबर 99 आर.आई. सर्कल परसोरिया ग्राम पंचायत में स्थित भूमि स्वामित्वधारक प्रमाणपत्र आबादी खसरा नं. 1220 प्लॉट नं. 1116 (पी) वे कुल क्षेत्रफल 341 वर्ग मीटर का 1/4वां हिस्सा रखते हैं, क्षेत्र माप 85.25 वर्ग मीटर या 917.29 वर्ग फुट, हरदौल के पास, तहसील और जिला– सागर, सागर, पीओ सानोधा, सागर, मध्य प्रदेश, पिन : 470001 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– स्वामी का स्थान, पश्चिम– मार्ग (सड़क), दक्षिण– गजेंद्र सिंह, उत्तर– गब्बर सिंह	15-04-2025	19–04–2025 तथा रु. 386232/–

इसलिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर संबंधित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता के खिलाफ ऊपर दिखाए गए अनुसार कुल बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। संबंधित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता द्वारा आगे के ब्याज के साथ कुल बकाया राशि का भुगतान करने में विफल होने पर, महोफिन ऊपर वर्णित संपत्तियों पर सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए धारा 13(4) के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगी, अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अन्य तरीकों से नोटिस की सेवा के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आपको सूचित किया जाता है कि उक्त बंधक को सरफेसी अधिनियम की धारा 13(8) में विस्तृत रूप से सार्वजनिक नीलामी या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के लिए निजी संधि के लिए नोटिस के प्रकाशन की तारीख से पहले किसी भी समय महोफिन द्वारा देय संपूर्ण राशि के भुगतान पर भुनाया जा सकता है।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, आपको किसी भी तरह से बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से सुरक्षित संपत्तियों को हस्तांतरित करने और / या उनका निस्तारण करने से रोका जाता है।

दिनाँक : 16–05–2025, स्थान : मध्य प्रदेश **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, मणप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड**

Navigate markets with focussed insight.

Get daily sector trends, market movers, and sharp insights — *every day* with **The Compass** in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.com**

Business Standard Insight Out

RELIANCE ASSET RECONSTRUCTION COMPANY LIMITED

Address:- 11th Floor, North Side, R-Tech Park, Western Express Highway, Goregaon (East), Mumbai – 400063, T + 91 2241681200, F + 91 2241681220

परिशिष्ट–IV {नियम 8(1)} कब्जे संबंधी सुचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 के प्रवर्तन और धारा 13(12) सपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित ऋणी/यों और सह–ऋणी/यों और जमानतदार को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित बकाया ऋण राशि चुकाने के लिए धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है।

ऋणी/यों,सह–ऋणी/यों और जमानतदार द्वारा यह राशि न चुका पाने के कारण ऋणी/यों,सह–ऋणी/यों और जमानतदार एवं आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 8 प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे दिए गए विवरण वाली संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

ऋणी/यों,सह–ऋणी/यों और जमानतदार को विशेषकर तथा आम जनता को सामान्य रुप से सचेत किया जाता है कि वे नीचे उल्लिखित संपत्ति/संपत्तियों में कोई लेनदेन न करें और इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तथा उस पर भविष्य के ब्याज व खर्चों के ऋणभार प्रभार के अधीन होगा।

ऋणी/यों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए आमत्रित किया जाता है, जो उपलब्ध संपत्तियों को छुडा लेनें के लिये उपलब्ध समय के संबंध में है।

ऋण संख्या ऋणी/यों, सह–ऋणी/यों और जमानतदार का नाम	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	डिमांड नोटिस की तिथि और राशि	कब्जा सूचना की तिथि
ऋण खाता संख्या MPL145 1. कमल सिंह अंजना पुत्र सेवाराम अंजना 2. संगीता अंजना पत्नी कमल सिंह अंजना 3. रवि रावल पुत्र हरिशंकर रावल	संपत्ति के सभी अंग व अंश जिसमे पी.एच.एन. 21 जो सर्वेक्षण संख्या 497, मकान संख्या 133, गांव और ग्राम पंचायत गोयला बुजुर्ग,तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन में स्थित है। जिसका क्षेत्रफल 750 वर्गफीट है। जो कमल पुत्र सेवाराम के नाम से है। सीमाएं:- पूर्वः मनोहर पटेल का मकान पश्चिमः गांव की सी.सी.रोड उत्तरः मंदिर चौक दक्षिणः खाली प्लॉट	दिनांक 04 दिसम्बर 2023 राशि रुपये 4,17,487/- (रु.चार लाख सत्रह हजार चार सौ सत्यासी मात्र)	13-05-25

दिनांक :16.05.2025 स्थानः उज्जैन

ह/-
प्राधिकृत अधिकारी (रिलायंस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड)

सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड
Cent Bank Home Finance Limited

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की अनुषंगी Subsidiary of Central Bank of India

ऋणी द्वारा उक्त सूचना पत्र लेने से इनकार करने एवं बिना तामील वापसी के अंतर्गत अख़बार में यह नोटिस, धारा 13(2), सेक्शन 13(8) एवं 13(13) सरफेसी एक्ट के तहत प्रकाशित

सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड,, के माध्यम से प्राप्त किया गया ऋण जो कि एन.पी.ए. हो चुका है व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्न वर्णित ऋणीयों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतीहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक पावती सहित द्वारा आप सभी को भेजी गई थी। निम्न वर्णित मांग सूचना दिनांक में हमने इस आशय को स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपके द्वारा सूचना में दर्शाई राशि 60 दिन के अंदर जमा नही कराई गई तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बैंक में बंधक संपत्ति जो कि निम्नलिखित ऋणी व जमानतदार के नाम है, उसका आधिपत्य ले लिया जाएगा। बकाया राशि का उल्लेख निम्नानुसार है।

क्र सं	आवेदक, सह-आवेदक, गारंटर का नाम एवं खाता क्रमांक	अचल संपति का विवरण	सूचना दिनांक एन.पी.ए. दिनांक	बकाया राशि (₹)
1.	1. श्री दिलीप कुमार पंजवानी सुपुत्र श्री गोपाल दास पंजवानी (आवेदक), सह-आवेदक: 1. श्रीमती राधा पंजवानी पत्नी श्री दिलीप कुमार पंजवानी 2. श्रीमती कृष्णा पंजवानी पत्नी श्री गोपाल दास पंजवानी 3. श्री आकांश पंजवानी सुपुत्र श्री दिलीप कुमार पंजवानी 4. श्री अनमोल पंजवानी सुपुत्र श्री दिलीप कुमार पंजवानी 5. श्री अनिल कुमार पंजवानी पुत्र श्री गोपाल दास पंजवानी 6. श्री सुनील कुमार पंजवानी पुत्र श्री गोपाल दास पंजवानी खाता क्रमांक: 00403020000044	नजूल ब्लॉक नं. 147, नजूल प्लॉट नं.15/7, नगर निगम जबलपुर नया मांकन नं. 175 (पुराना मकान नं.2227), शुक्ला होटल का क्षेत्र अंदर, लालमाटी वार्ड नं.10, न्यू पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा वार्ड, तहसील और जिला जबलपुर (म.प्र.), संपत्ति श्रीमती कृष्णा पंजवानी पत्नी श्री गोपाल दास पंजवानी के नाम पर, क्षेत्रफल 945 वर्ग फीट और ग्राउंड फ्लोर का निर्मित क्षेत्रफल 550 वर्ग फीट। **चतुर्सीमा: पूर्व-** नाली फिर रोड, **पश्चिम-** कंजरवेंसी लेन, **उत्तर-** कॉमन बाउंड्री और गुरुदासमल सिंधी का घर, **दक्षिण-** कॉमन बाउंड्री और मिट्ठूमल सिंधी का घर।	25.04.2025 10.04.2025	28,95,860/- + ब्याज एवं अन्य शुल्क
2.	1. श्री पंकज सोनी पुत्र श्री सुंदर लाल सोनी (आवेदक), सह-आवेदक: 1. श्रीमती वन्दना सोनी पत्नी श्री पंकज सोनी 2. श्रीमती सरोज सोनी पत्नी श्री सुन्दर लाल सोनी 3. श्रीमती हेमलता पोद्दार पत्नी संजय कुमार पोद्दार और पुत्री श्री सुंदर लाल सोनी 4. श्रीमती मोहिनी सोनी पत्नी श्री कृष्ण कुमार सोनी एवं पुत्री श्री सुंदर लाल सोनी 5. श्रीमती प्रगति सराफ पत्नी श्री नितिन सराफ और पुत्री श्री सुंदर लाल सोनी खाता क्रमांक: 00403020000039	मौजा - करमेता, एन.बी.नं.497, पी.एच.नं.26/27, ख.ह. नं.468/2, 469/8, नामांतरण के बाद खसरा नं.468/4 और 469/13 तहसील न्यू अधारताल और जिला जबलपुर (म.प्र.), संपत्ति स्वर्गीय श्री सुंदर लाल सोनी के पुत्र मुन्ना लाल सोनी कानूनी उत्तराधिकारी के माध्यम से, श्री पंकज सोनी पुत्र श्री सुंदर पुत्र लाल सोनी, श्रीमती वंदना सोनी पत्नी श्री पंकज सोनी, श्रीमती सरोज सोनी पत्नी श्री सुंदर लाल सोनी, श्रीमती हेमलता पोद्दार पत्नी संजय कुमार पोद्दार और श्री सुंदर लाल सोनी की पुत्री, श्रीमती मोहिनी सोनी पत्नी श्री कृष्ण कुमार सोनी और श्री सुंदर लाल सोनी की पुत्री श्रीमती प्रगति सराफ पत्नी श्री नितिन सराफ, क्षेत्रफल 1200 वर्गी फुट. **चतुर्सीमा: पूर्व-** कच्ची सड़क, **पश्चिम-** कंजरवेंसी लेन, **उत्तर-** ठाकुर का घर, **दक्षिण-** पी.एस. कल पांडे का घर	25.04.2025 10.04.2025	21,97,434/- + ब्याज एवं अन्य शुल्क

नोटिस सुपुदर्गी के लिय वैकल्पिक कदम भी उठाये जा रहे है, उपरोक्त ऋणी/ सह-ऋणी उनके जमानतदारों (यदि लागू हो) को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बुलाया जाता है, विफल होने पर प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम 2002 के प्रवर्तन की धारा 13 उपधारा (4) के तहत आगे कदम उठाये जायेगे।

स्थान : जबलपुर, दिनांक : 15.05.2025 **प्राधिकृत अधिकारी, सेन्ट बैंक होम फायनेन्स लिमिटेड, जबलपुर**

शाखा: 37/4, प्रथम तल, केनरा बैंक के ऊपर, शुभ मोटर्स के सामने, महानद्दा, मदन महल रोड, जबलपुर (म.प्र.) 482001

OMKARA ASSETS RECONSTRUCTION PVT. LTD.
ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः नं. 9, एम.पी. नगर, प्रथम स्ट्रीट, कोंगु नगर एक्सटेंशन, तिरुपुर 641607
कॉर्पोरेट कार्यालयः कोहिनूर स्क्वायर, 47वीं मंजिल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर पश्चिम, मुंबई 400028. फोनः 022-6923 1111/9173670406

[परिशिष्ट - IV-A]
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 (2) और नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित नियम 9(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस

आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर(ओं) इंदरमल समरथमल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (उधारकर्ता) और श्री अजय मोतीलाल अग्रवाल, श्री राजेंद्र कुमार समरथमल चोरड़िया, श्री अजयकुमार ज्ञानचंद जैन और श्री राजेंद्र कुमार समरथमल चोरड़िया राजेंद्रकुमार समरथमल चोरड़िया (हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)) (गारंटर) के कर्ता और प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं, को यह सूचना दी जाती है। कि नीचे वर्णित चल और अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभारित है, जिसका कब्जा ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओएआरपीएल) सुरक्षित लेनदार एसएएसएफ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 27.11.2024 को ले लिया गया है। के उक्त उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ताओं से ओमकारा एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड /सुरक्षित लेनदार की बकाया राशि रु. 83,05,74,353 (रुपये तिरासी करोड़ पांच लाख चौहत्तर हजार तीन सौ तिरेपन मात्र) प्लस 01.06.2019 से ब्याज और व्यय इत्यादि (अनुबंध और वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार) की वसूली हेतु ''जहां है जैसा है'', ''जो कुछ भी है'' और ''बिना किसी सहारे के आधार पर'' **05.06.2025 को अपां. 01:00 बजे से 02:00 बजे के बीच बेचा जाएगा। (बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि और समय 04.06.2025 शाम 6:00 बजे तक है),**

ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (ओमकारा पीएस 13/2024–25 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत) (ओएआरपीएल) ने दिनांक 31.08.2024 के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से उपरोक्त उधारकर्ता/गारंटर के विरुद्ध बका